सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 1837/2018

पुत्र छोगालाल जाति नाई निवासी जूनियां तह. केकडी जिला अजमेर (राज.)

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,209,राज.काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज.लैण्ड रेवेन्यु घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 9.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प जूनियां में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,209,राज.काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज.लैण्ड रेवेन्यु के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जूनियां तहसील केकडी के खसरा नम्बर 2442/11 रकबा 5–00–00 बीघा हाल खसरा नम्बर 5588 रकबा 1.78 है. किस्म बारानी प्रथम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का आवंटन दिनांक 7.7.1987 को आंवटन कमेटी की ग्राम पंचायत जूनियां में वादी को आवंटित की गई । वादी आवंटन के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज व काश्त है और काश्त कर कर रहा है। वादी द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का निवेदन किय लेकिन वादी को आज तक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नवीन आधारभूत जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज किया जाकर माल गुजारी कायम की जावें। वादी ने प्रतिवादी को कितनी अर्ज निवेदन किया । वाद प्रस्तुत का मूल कारण 21.9.2017 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी बेदखल करने पर उतारू हो रहे है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का खातेदर काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया जा रहा है।

वादी के प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया गया। प्रकरण में वाद ग्रस्त आराजीयात की जवाब सरकार से प्राप्त अनुसार ग्राम जूनिया के गत खसरा नम्बर 2442/11 में आंवटित रकाब 5 बीघा को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिसमें वादी महावीर प्रसाद पि. छोगालाल नाई को ग्राम जूनियां में गत खसरा नम्बर 2442/11 में 5 बीघा भूमि दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया । मिलानक्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 2442/11 से नवीन खसरा नम्बर 5588 रकबा 1.78 बना है । उक्त आराजीयात में वर्किग जमाबन्दी स. 2041 के खाता सं. 1 पर 2442/11 किस्म बा. 3 से सिवायचक भूमि दर्ज है। मौके की जांच अनुसार वादी महावीर पुत्र छोगालाल सैन निवासी जूनियां का आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2442/11 से बने नवीन नम्बर 5588 पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त रिपोर्ट अनुसार बताया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में दर्ज दस्तावेज का अवलोकन किया । पत्रावली में जवाब सरकार से प्राप्त रिपोर्ट की जांच की गई । जांच रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि वादी महावीर प्रसाद पि. छोगालाल नाई को ग्राम जूनियां में गत खसरा नम्बर 2442/11 में 5 बीघा भूमि दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया , साथ ही मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 2442/11 से नवीन खसरा नम्बर 5588 रकबा 1.78 बना है । उक्त आराजीयात में वर्किग जमाबन्दी स. 2041 के खाता सं. 1 पर 2442/11 किस्म बा. 3 से सिवायचक भूमि दर्ज है। मौके की जांच अनुसार वादी महावीर पुत्र छोगालाल सैन निवासी जूनियां का आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2442/11 से बने नवीन नम्बर 5588 पर कब्जा काश्त नहीं हैं। अतः उक्त जवाब सरकार अनुसार आराजीयात में वर्किग जमाबन्दी स. 2041 के खाता सं. 1 पर 2442/11 किस्म बा. 3 से सिवायचक भूमि दर्ज होने से एंव वादी महावीर पुत्र छोगालाल सैन निवासी जूनियां का आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2442/11 से बने नवीन नम्बर 5588 पर कब्जा काश्त नहीं होने वादी का वाद खारिज योग्य बन रहा है। अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 9.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जूनियां में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी